राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 49/2025 प्रा0पत्र

अनवान

नीला बाई रावत पिता भंवर सिंह जाति रावत उम्र बालिग निवासी टोकरा तहसील भीम हाल निवास तेजा का गुड़ा अमरवास तहसील चारभुजा जिला राजसमंद।

.... प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.........................अप्रार्थी

उपस्थिति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह पंवार
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः— 29/01/2026

1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य में खातेदारी कृषि भूमि ग्राम टोकरा पटवार हल्का टोकरा नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित है जिसका प्रार्थीया निरन्तर निर्बाद रूप से उपयोग—उपभोग कर रही है व काबिज होकर स्वामी है। उक्त भूमि के खाता संख्या 13 खसरा संख्या 283, 647, 648, 650, 654 रकबा 0.5600 है0 है। उक्त भूमि में वर्तमान जमाबंदी में मुझ प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लीला पुत्री भंवरसिंह दर्ज है जबकि मुझ प्रार्थीया के वर्तमान समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड और निर्वाचन पहचान पत्र में मुझ प्रार्थीया का नाम नीला बाई रावत दर्ज अंकित है जिससे सरकारी योजनाओं आदि में नीला बाई रावत से ही लाभ मिलता है तथा नीला बाई रावत नाम का ही उपयोग किया जाता है। मेरे पिता भंवरसिंह की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरणकरण के दौरान तत्कालीन पटवारी द्वारा मेरे दस्तावेज जांचे बिना लोगों की बोलचाल की भाषा में नीला बाई रावत के स्थान पर लीला कर दिया जिसे दुरस्त कर नीला बाई रावत दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में जमाबंदी की प्रतिलिपि , आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भीम, पटवारी नरदास का गुड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार लीला पिता भंवरसिंह व नीला बाई पिता भंवरसिंह, भंवरसिंह की पुत्री होकर एक ही

महिला है इस नाम से कोई अन्य महिला नही है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 13 खसरा संख्या 283, 647, 648, 650, 654 रकबा 0.5600 है0 भूमि में खातेदार लीला पुत्री भंवरसिंह का नाम दुरूस्त कर नीला बाई रावत पुत्री भंवरसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द